फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

रामकरण बनाम नाहरसिंह वगै0

किस्म मुकदमा–दावा

मु0नं0–27/2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.02.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र बाबत कार्यवाही ड्राप फरमाये जाने हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलाकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित भूमि एवं समान पक्षकारों के मध्य न्यायालय हाजा के समक्ष पूर्व में समान अनुतोष तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु उनवानी वादपत्र नाहरसिंह बनाम गंगासहाय वगै0 मु0न0 134/2020 विचाराधीन रहा है जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सिकराय से कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त कर दिनांक 02.09.2024 को अंतिम डिक्री पारित कर दी। इस वादपपत्र के वादी रामकरण पूर्व में निर्णित उक्त वादपत्र में दौराने सुनवाई न्यायालय में उपस्थित रहा है एवं पत्रावली की आदेशिका पर रामकरण के हस्ताक्षर भी है जिससे यह स्पष्ट है कि वाद के संबंध में वादी को पूर्ण जानकारी थी तथा सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार समान भूमि एवं समान पक्षकारों के मध्य समान अनुतोष पर एक ही वाद हो सकता है तथा यह वादपत्र एवं पूर्व में डिक्री किया जा चुका वादपत्र दोनो वादपत्र बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत है। वादी द्वारा यह वादपत्र महज प्रतिवादी द्वारा पूर्व में पेश वादपत्र के डिक्री की पालना रोकने की नियत से पेश किया गया है इसलिए यह वादपत्र चलने योग्य नहीं है इसलिए खारिज किया जावे। वादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि पूर्व में निर्णित वादपत्र में केवल वादी की हद तक तकास्मा किया गया है न कि सभी खातेदारान का। प्रतिवादी 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र विधिविरूद्ध है वादी को भी अपनी सहखातेदारी भूमि का तकास्मा करवाने का अधिकार है जो केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि अन्य खातेदारान ने अपनी भूमि का तकास्मा करवा लिया। इसलिए प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे एवं वादपत्र में अग्रिम कार्यवाही की जावे। उभयपक्ष अधिवक्तागण के अभिवचनों के मनन एवं पत्रावली तथा पूर्व में निर्णित वादपत्र के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय हाजा के समक्ष इस वादपत्र के पहले से ही वादपत्र समान अनुतोष पर विचाराधीन रहा है जिसमें कुर्रेजात प्रस्ताव लिये जाकर अंतिम डिक्री भी जारी की जा चुकी है। तथा यह है भी स्पष्ट है कि वादी को उक्त वादपत्र की जानकारी थी। यदि वादी को उक्त वादपत्र/भूमि के बंटवारे के संबंध में कोई अनुतोष चाहिए तो उसे सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी न की अन्य इस न्यायालय के समक्ष अन्य वादपत्र पेश करना चाहिए था। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	

रामचरण / मानसिंह , 27/2021

इस वादपत्र एवं वादपत्र के साथ पेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में पूर्व में जारी निर्णय एवं डिक्री की पालना को रोका जाना न्यायोचित नहीं है। यदि वादी को पूर्व में जारी डिक्री अथवा संपूर्ण भूमि के संबंध में कोई अनुतोष वांछनीय है तो सक्षम न्यायालय में अपील करें तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्व में हो चुके तकास्मे के अतिरिक्त शेष बची भूमि की हद तक पृथक से तकास्मा वाद लाने हेतु स्वतंत्र है।

अतः प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत कार्यवाही ड्राप फरमाये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है। तथा वादी द्वारा पेश वादपत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा